



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

डॉ. ज्योतिष पायेड

Dr. Jyotish Payeng

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Assistant Registrar (Academic)

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्र. : 011/2008/प्र.बो./BOS/03/08

दिनांक : 03.01.2019

अधिसूचना

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी समाजकार्य अध्ययन केंद्र के अध्ययन मंडल के गठन के संबंध में पूर्व जारी अधिसूचना क्र.011/2008/प्र.बो./BOS/03/515 दिनांक 26.10.2016 के क्रम में पी-एच.डी. अध्यादेश क्र. 45/2017 के अनुसार अध्ययन मंडल (BOARD OF STUDIES) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	केंद्र निदेशक	:	अध्यक्ष
2.	केंद्र के सभी प्रोफेसर	:	सदस्य
3.	केंद्र से एक एसोशिएट प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	उपलब्ध नहीं।
4.	केंद्र से एक सहायक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	डॉ. मिथिलेश कुमार
5.	निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची से कुलपति द्वारा नामित एक भूतपूर्व विद्यार्थी	:	श्री रफीक अली
6.	निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची से कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	प्रो. पी. के. घोष, विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग विश्वभारती, शांति निकेतन (प.बंगाल) प्रो. पामेला सिंग्ला, समाजकार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

क्रम संख्या 03 और 06 के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी समाजकार्य अध्ययन केंद्र को संबंधित को सूचित करने तथा अध्ययन मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित कराने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
5. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फाइल


(ज्योतिष पायेड)